संख्या-31/2017-1667 ई-2/तेरह-2017-74/2016

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 13 जुलाई,2017

विषय:-प्रदेश में शीरे से अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल एवं पेय मदिरा) का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटेरियल) से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन तथा गैर शीरा पदार्थ से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन के लिये नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-जी-37/दो-प्रा0डी0-91ए, दिनांक 23 जून, 2016, पत्र संख्या-जी-52/दो-प्रा0डी0-24, दिनांक 18 जुलाई,2016 एवं पत्र संख्या-जी-101/दो-प्रा0डी0-190, दिनांक 21 नवम्बर,2016, पत्र संख्या-जी-70/दो-प्रा0डी0-3, दिनांक 05 अगस्त,2016, पत्र संख्या-जी-100/दो-प्रा0डी0-33(ग्रेन), दिनांक 21 नवम्बर,2016, पत्र संख्या-जी-86/दो-प्रा0डी0-188, दिनांक 14 अक्टूबर,2016, पत्र संख्या-जी-90/दो-प्रा0डी0-126, दिनांक 28 अक्टूबर,2016 एवं पत्र संख्या-जी-112/दो-प्रा0डी0-10/रामपुर(ग्रेन आधारित), दिनांक 13 दिसम्बर,2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 17-8-2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1933 ई-2/तेरह-2016-69/2011, दिनांक 31 अगस्त,2016 एवं दिनांक 14-6-2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1533 ई-2/तेरह-2017-74/2016, दिनांक 23 जून,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में शीरे से अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल एवं पेय मदिरा) का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटेरियल) से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन तथा गैर शीरा पदार्थ से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन के लिये नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-15/2016-676 ई-2/तेरह-2016-54/2014, दिनांक 18 मार्च,2016 द्वारा नीति निर्धारित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गई है। तद्क्रम में आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 17-8-2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1933 ई-2/तेरह-2016-69/2011, दिनांक 31 अगस्त,2016 एवं दिनांक 14-6-2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1533 ई-2/तेरह-2017-74/2016, दिनांक 23 जून,2017 में की गई संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-15/2016-676 ई-2/तेरह-2016-54/2014, दिनांक 18 मार्च,2016 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन इकाईयों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार गैर शीरा पदार्थ अर्थात् अनाज से पेय मदिरा बनाने हेतु आसवनी स्थापना/ अल्कोहल उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0	इकाई का नाम	पूर्व स्थापित/नई आसवनी
1-	मे0 वेव डिस्टिीलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि0, अलीगढ़।	मे0 वेव डिस्टिीलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि0, अलीगढ़ को उसकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 450 लाख लीटर के अन्तर्गत पेय मदिरा के निर्माण हेतु 60 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 180 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का ग्रेन स्प्रिट प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति।
2-	मे0 लाईस आसवनी, गाजीपुर।	मे0 लाईस आसवनी, गाजीपुर को उसकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 600 लाख लीटर के अन्तर्गत शीरे पर आधारित प्लान्ट को हटाकर पेय मदिरा के निर्माण हेतु 58 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 174 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता की अनाज आधारित ई0एन0ए0 प्लान्ट की स्थापना करने तथा वर्तमान में स्थित प्लान्ट को डिस्मेन्टल करके अनाज पर आधारित आसवनी की स्थापना हो जाने की अवधि के मध्य राज्य में स्थापित अन्य आसवनियों से ई0एन0ए0 क्रय करके देशी मदिरा का निर्माण करने की अनुमति।
3-	मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, बिजनौर।	मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0(केमिकल डिवीजन), बिजनौर के वर्तमान परिसर में 100 किली0 प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का अनाज पर आधारित प्लान्ट/मशीनरी स्थापित करने के सम्बन्ध में अनुमति।
4-	मे0 सुपीरियर डिस्टीलरी, बरेली।	मे0 सुपीरियर डिस्टीलरी, बरेली की पूर्व स्थापित शीरा आधारित आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करते हुये 360 लाख ली0 वार्षिक को बढ़ाकर 582 लाख लीटर वार्षिक करते हुये आसवनी में पेय मदिरा उत्पादन हेतु 120 किली0 प्रतिदिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अर्थात् 360 किली0 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की गैर शीरा पदार्थ अर्थात् अनाज से अल्कोहल उत्पादन की अनुमति।
5-	मे0 राजस्थान लिकर्स लि0 कानपुर देहात।	मे0 राजस्थान लिकर्स लि0 कानपुर देहात को 125 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 375 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की गैर शीरा पदार्थ अर्थात् अनाज तथा 25 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 75 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता माल्ट से पेय मदिरा बनाने हेतु अल्कोहल उत्पादन की आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति।
6-	मे0 इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0, गोरखपुर।	मे0 इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0, गोरखपुर की पूर्व स्थापित शीरा आधारित आसवनी में उनको स्वीकृत पेय क्षमता अर्थात् 525 लाख लीटर के अन्तर्गत 65 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 195 लाख लीटर वार्षिक सीमा तक पेय मदिरा बनाने हेतु अनाज से ई0एन0ए0 का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति।
7-	मे0 रेडिको खेतान लि0, रामपुर।	मे0 रेडिको खेतान लि0, रामपुर की पूर्व स्थापित शीरा आधारित आसवनी के 50 किली0 प्रतिदिन क्षमता के वाश टू ई0एन0ए0 प्लान्ट को उपलब्धता के आधार पर शीरे एवं अनाज (डूअल मोड) पर चलाकर पेय मदिरा बनाने हेतु अल्कोहल उत्पादन की अनुमति।

कृपया नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।